न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, नोहर (हनुमानगढ़)

(पीठासीन अधिकारी भागीरथ शाख आर.ए.एस.)

अपील प्र0 सं0 11/2019

1. प्रतापसिंह पुत्र अर्जनराम जाति जाट निवासी अमरपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– अपीलांट

बनाम्

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा तहसील भादरा।

–असल रेस्पोडेंट

2. रामसिंह पुत्र अर्जुनराम जाति जाट निवासी अमरपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. कृष्ण कुमार पुत्र अर्जुनराम जाति जाट निवासी अमरपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
4. भूपसिंह पुत्र अर्जुनराम जाति जाट निवासी अमरपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
5. बलवान पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी अमरपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
6. तारो पुत्री रामचन्द्र जाति जाट निवासी अमरपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
7. सुनिता पुत्री रामचन्द्र जाति जाट निवासी अमरपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक : 11.01.1996 न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) भादरा नामान्तरकरण स0 211 दिनांक 11.01.1996

उपस्थितिः– श्री संतलाल तिवाड़ी अधिवक्ता, अपीलांट

श्री आनन्द उपाध्याय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट

निर्णय दिनांक :

संक्षेप में अपील अपीलांट की ओर से निम्न प्रकार से हैं :–

1. चक जोगीवला बारानी तहसील भादरा के खाता स0 13/13 के मु0न0 139, 140, 145, 146, 147, 150, 151, 152 कुल 82 बीघा 13 बिस्वा भूमि मुश्तरका खाते की थी।
2. दिनांक 28.06.1993 को प्रताप सिंह पुत्र रिछपाल जाति जाट निवासी जोगीवाला तहसील भादरा रोही मौजा जोगीवाला बारानी तहसील भादरा के खाता स0 13/13

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

के मु0न0 139, 140, 145, 146, 147, 150, 151, 152 कुल 82 बीघा 13 बिस्वा भूमि में से अपने हक व हिस्सा व कब्जा काश्त की भूमि से 8 बीघा यानि 160 हिस्सा भूमि प्रतापसिंह, रामचन्द्र, कृष्ण कुमार, भूपसिंह पि0 अर्जनराम जाति जाट निवासी अमरपुरा तहसील भादरा जरिये रजि. बैनामा विक्रय कर दी तथा सम्पूर्ण प्रतिफल बैनामा प्राप्त कर लिया । कब्जा मौका पर क्रेतागण को सौंप दिया था ।

3. विक्रेता प्रतापसिंह के द्वारा कृषि भूमि विक्रय करने के पश्चात वाद भूमि का इन्तकाल स0 211 दिनांक 11.01.1996 दर्ज किया तथा तस्दीक किया गया अपीलांट व उसके भाईयों ने प्रतापसिंह 160 हिस्सा यानि 8 बीघा भूमि खरीद की थी किन्तु सहवन से इन्तकाल स0 211 दिनांक 11.01.1996 मात्र 80 हिस्सा यानि 4 बीघा का दर्ज किया गया जबकी कुल विक्रय भूमि का इन्तकाल बैयनामा दिनांक 28.06.1993 के अनुसार 160 हिस्सा यानि 8 बीघा भूमि का होना चाहिए था अपीलांट इन्तकाल दुरस्त करने का अधिकारी है।
4. अपीलांट व उसके भाई रामचन्द्र, रामसिंह, कृष्णकुमार, भूपसिंह की जरिये रजि. बैयनामा 160 हिस्सा यानि 8 बीघा खरीद की गई है इसलिए इन्तकाल 8 बीघा भूमि का ही नियमानुसार दर्ज किया जाना चाहिए था। अपीलांट के हक में किया गया बैयनामा दिनांक 28.06.1993 एक कानूनी व विधि सम्मत दस्तावेज है।
5. इन्तकाल सं0 211 दिनांक 1.01.1996 सम्पूर्ण खरीद शुदा भूमि का न होने के कारण सही दस्तावेज नही है। जो दुरस्त किये जाने योग्य है।
6. वादग्रस्त भूमि अपीलांट व उसके भाई रामचन्द्र, रामसिंह, कृष्णकुमार, भूपसिंह की ब. हि.ब खरीद शुदा है। जिनमें से रामचन्द्र फौत हो चुका है इसलिए रामचन्द्र के वारिसान रेस्पो0 स0 5, 6, 7 व रामसिंह, कृष्णकुमार भूपसिंह को अपील में तरतीबी रेस्पो0 बनाया गया है।
7. अपीलांट को इन्तकाल स0 211 दिनांक 11.01.1996 में खरीद शुदा भूमि कम दर्ज होने का ज्ञान दिनांक 30.04.2019 से पहली दफा पटवारी हल्का से हुई इस से पूर्व अपीलांट को भूमि कम दर्ज होने की कोई जानकारी नही थी। इसलिए आदेश की जानकारी अपीलांट को होते ही अपील अपीलांट प्रस्तुत की जा रही है जो ज्ञान से अन्दर मियाद मानी जावें।
8. अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि व तथ्यों के अनुसार नहीं होने के कारण दुरस्त किये जाने योग्य है इन्तकाल सम्पूर्ण खरीद शुदा भूमि का दर्ज किये जाने योग्य है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम जोगीवाला बारानी तहसील भादरा के खाता स0 13/13 के मु0न0 139, 140, 145, 146, 147, 150, 151, 152 कुल 82 बीघा 13 बिस्वा भूमि से विक्रेता प्रतापसिंह के हिस्से भूमि से अपीलांट व उसके भाईयों के नाम से दर्ज इन्तकाल स0 211 दिनांक 11.01.1996 को 80 हिस्सा की बजाय कुल खरीद शुदा भूमि में 160 हिस्सा यानि 8 बीघा भूमि का दर्ज कर स्वीकार फरमाया जाकर अपीलांट व उसके भाईयों के नाम 160 हिस्सा भूमि प्रतापसिंह विक्रेता भूमि से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जावें।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थी की तलबी की गई। बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमों में उल्लेखित बिन्दुओं को दोहराते हुए निवेदन किया कि बैयनामा दिनांक 28.06.1993 में 160 हिस्सा यानि 8 बीघा भूमि खरीद की गई है। परन्तु सहवन से इन्तकाल स0 211 दिनांक 11.01.1996 में मात्र 80 हिस्सा यानि 4 बीघा का दर्ज किया गया लेकिन 8 बीघा का कब्जा दे दिया गया उक्त भूमि संबंधी कोई विवाद नहीं है। अतः अपील स्वीकार फरमावें।

हमनें बहस पर मनन किया व पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय के रेकार्ड का अवलोकन किया। पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय के रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट तथा तरतीबी रेस्पो0 स0 2 से 4 ने तथा तरतीबी रेस्पो स0 5 से 7 के पिता ने जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 28.06.1993 को प्रतापसिंह पुत्र रिछपाल जाति जाट निवासी जोगीवाला तहसील भादरा से खाता स0 13/13 के मु.न. 139,140,145,146,147,150,151,152 कुल रकबा 82 बीघा 13 बिस्वा में से 160 हिस्सा यानि 8 बीघा भूमि क्रय की थी। जिसका अपीलाधीन नामान्तरण स0 211 ग्राम जोगीवाला तहसील भादरा दिनांक 11.01.1996 को क्रेतागण अपीलांट प्रतापसिंह व उसके भाईयों के नाम 80 हिस्सा का स्वीकृत हुआ। जो सहवन से हिस्सा गलत दर्ज होना प्रतीत होता है। हम रजिस्टर्ड बैयनामें के आधार पर क्रेतागण के नाम सही हिस्सा दर्ज करना न्यायोचित समझते है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन नामान्तरण संख्या 211 आदेश दिनांक 11.01.1996 निरस्त किया जाता है व प्रकरण तहसीलदार भादरा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि यदि प्रश्नगत आराजी(भूमि)/पंजीबद्ध बैयनामा के संबंध में अन्य किसी सक्षम न्यायालय में

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

कोई प्रकरण विचाराधीन ना हों एवं स्थगन आदेश ना हो तो जांच कर नियमानुसार पंजिबद्ध बैयनामा के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज करने के संबंध में कार्यवाही करें।

अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख मय निर्णय प्रति लौटायी जावें। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दफ्तर दाखिल हों।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक : 20.09.2021 को लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय सुनाया गया। शामिल पत्रावली रहें।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

20/9/2021

(भागीरथ शाख आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ)